विशेष लोक अदालत

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,अलीगढ।
वाद संख्या–2732/2019
राज्य बनाम रिषीपाल
धारा–,138–1बी ई.सी.एक्ट
अपराध संख्या–128/2018
थाना–अकराबाद जनपद–अलीगढ।

दिनांक–30.01.2024:– पत्रावली विशेष लोक अदालत में पेश हुई।

अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उसकी ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का जुर्म इकबालिया बयान अंकित किया गया, उसने अपना जुर्म स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक–14.02.2018 को समय 10.30 बजे स्थान–ग्राम दभी थाना अकराबाद अलीगढ अलीगढ में एल.टी. लाइन पर केविल डालकर विद्युत चोरी का आरोप है जबकि उसका संयोजन पूर्व से बकाया धनराशि के कारण काट दिया गया किन्तु इसके पश्चात भी उसके द्वारा एक किलो वाट विद्युत की चोरी का आरोप है। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह अत्यन्त गरीब मजदूर व्यक्ति है। उसका यह प्रथम अपराध है , आगे भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही करेगा। अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

आदेश

अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा–138–1बी विद्युत अधिनियम के अपराध हेतु मुवलिग 02.500/रूपये (दो हजार पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पत्रावली पर विभाग का यदि कोई बकाया हो तो विभाग उपभोक्ता से वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,अलीगढ।

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR PANDEY
Date: 2024.02.08 12:54:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court